न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील संख्या – 224/2018/223 आरटीए

श्रीमति सरोज पत्नि सुरेश कुमार पुत्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां वर्तमान निवासी पारीक कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

– अपीलांट

बनाम

धर्मपाल पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई पेशा खेती निवासी चक 18 जीजीआर ग्राम पंचायत चक 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 16/2011 अनवानी धर्मपाल बनाम सरोज

उपस्थित :–
श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता अपीलांट
श्री सुनील परिहार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 23.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने अपीलांटा को बिना बताये अपीलांटा को पक्षकार वाद बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र प्रस्तुत किया कि 18 जीजीआर के खाता सं. 108/3मे कुल 6.578 है0 यानि 26 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि रेस्पो0 को संयुक्त परिवार के बंटवारा के समय प्राप्त हुई है लेकिन अपीलांटा/प्रतिवादी के नाम गलत दर्ज हो गयी एवं साथ यह कथन किया कि अपीलांटा ने उक्त भूमि रेस्पो0 के पक्ष मे तर्क की हुई है। इसलिये उपरोक्त 6.578 है0 भूमि का रेस्पो0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.01.2011 अंकित की गई लेकिन दिनांक 18.01.2011 को रेस्पो0 के आवेदन पत्र पर पत्रावली पेशी मे ली जाकर राजीनामा का अभिकथन कर प्रकरण लोक अदालत मे दिनांक 24.01.2011 को रखे जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अभिकथित राजीनामा के आधार पर दिनांक 24.01.2011 को वादपत्र रेस्पो0 मे पक्ष मे निर्णित कर डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 ने वादपत्र मे यह मिथ्या अभिकथन किया कि प्रश्नगत भूमि उसे घरूबंटवारा मे प्राप्त हुई है जबकि अपीलांटा ने उक्त प्रश्नगत भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 15.12.2008 को हरभजन कौर

पत्नि गुरचरण सिंह जाति रामगढिया निवासी 4 जेजे तहसील पदमपुर से 20 लाख रू0 मे खरीद की हुई है एवं खरीद के समय से ही उक्त भूमि पर अपीलांटा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0 अपीलांटा का छोटा भाई है। अपीलांटा वर्तमान मे बच्चो को शिक्षा दिलवाने के उदेश्य से पारीक कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन मे निवास कर रही है। अपीलांटा ने अपनी उक्त भूमि काश्त हेतु रेस्पो0 को ठेका पर दी हुई थी लेकिन रेस्पो0 के मन मे लालच की भावना आ गयी और उसने लालच की भावना के वशीभूत होकर मिथ्या आधार पर विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पो0 ने अपीलांटा के प्रश्नगत भूमि की पानी की बारी परिवर्तन करवाने एवं कृषि भूमि के नाका को परिवर्तन करवाने हेतु कुछ खाली कागजो व कुछ फार्मो पर हस्ताक्षर करवाये हुए थे जिसका नाजायज लाभ उठाकर रेस्पो0 ने खाली कागजो पर अपीलांटा द्वारा किये गये हस्ताक्षरो का नाजायज दुरूपयोग कर इसे प्रार्थना पत्र व राजीनामा आदि मे उपयोग लेकर गलत रूप से वादपत्र डिक्री करवा लिया। अपीलांटा ने कभी भी महावीर प्रसाद वर्मा व जगदीश प्रसाद वर्मा को अपना अभिभाषक नियुक्त नही किया। अपीलांटा महावीर प्रसाद जगदीश प्रसाद वर्मा को जानती तक नही है एव ंना ही कभी इनके साथ विचारण न्यायालय मे पेश हुई। जगदीश प्रसाद वर्मा का कोई वकालतनामा विचारण न्यायालय की पत्रावली मे नही है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलांटा की उपस्थिति के बिना ही अपीलांटा की पहचान करवाकर बिना राजीनामा तस्दीक किये वादपत्र को डिक्री कर दिया। ऐसे राजीनामा के आधार पर वादपत्र डिक्री नही किया जा सकता। रेस्पो. ने अपीलांटा को बिना बताये एवं बिना कोई सम्मन तामील करवाए एवं बिना न्यायालय मे उपस्थित करवाये गलत रूप से वादपत्र डिक्री करवा लिया। अपीलांटा दिनांक 28.06.18 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने गयी तो पटवारी हल्का द्वारा यह बताया गया कि चक 18 जीजीआर मे उसके नाम की भूमि वर्तमान मे रेस्पो0 के नाम दर्ज है। उसी समय अपीलांटा टिब्बी के न्यायालय मे गयी एवं अपना वकील नियुक्त कर प्रश्नगत भूमि के बाबत जानकारी चाही तो अपीलांटा को यह ज्ञान हुआ कि रेस्पो0 द्वारा उसे बिना बताये वादपत्र डिक्री करवाया गया है एवं यह पत्रावली हनुमानगढ़ प्रतिलिपि शाखा मे जमा होना बताया जिस पर अपीलांटा ने दिनांक 29.06.2018 को हनुमानगढ़ प्रतिलिपि शाखा से नकल प्राप्त की तो अपीलांटा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। अपीलांटा ने ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट

स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2011 को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन का करते हुए कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है। उक्त अपील न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा अपील मे चक 18 जीजीआर की भूमि के अपने कब्जा काश्त की भूमि होना बताकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया गया था जिस पर बतौर सहमति अपीलांटा ने हस्ताक्षर किये तथा वादग्रस्त भूमि पर कभी भी अपीलांटा का कब्जा नही रहा, स्वीकार किया गया और वादग्रस्त भूमि की डिक्री वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे करने हेतु कथन करते हुए कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र मे राजीनामा पेश होने के उपरांत मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटा सरोज के नाम से दर्ज थी जो रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.12.08 के द्वारा अपीलांटा की हरभजन कौर पत्नि गुरचरण सिंह से खरीद की हुई है तथा इसी बैयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपीलांटा के नाम से दर्ज हुई है। परन्तु रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को घरूबंटवारा मे प्राप्त होने तथा वादग्रस्त भूमि अपीलांटा/प्रतिवादिया द्वारा रेस्पो0/वादी के पक्ष मे तर्क की हुई होना बयान करते हुए पत्रावली मे अपीलांटा बिना सहमति राजीनामा पेश कर दावा डिक्री करवा लिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजीनामा ना तो तस्दीक किया गया और ना ही विधि अनुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजीनामा पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपूर्ण एवं विधि विरूद्ध राजीनामा के आधार पर अपीलांटा के नाम दर्ज भूमि की घोषणा रेस्पो0 के नाम करते हुए अपीलांटा वादग्रस्त भूमि मे से नाम कलमजन कर दावा डिक्री किया गया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली अनवानी धर्मपाल बनाम सरोज प्रकरण संख्या 16/2011 मे पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2011 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 224/2018/223 आरटीए

श्रीमति सरोज पत्नि सुरेश कुमार पुत्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां वर्तमान निवासी पारीक कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

– अपीलांट

बनाम

धर्मपाल पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई पेशा खेती निवासी चक 18 जीजीआर ग्राम पंचायत चक 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 16/2011 अनवानी धर्मपाल बनाम सरोज

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता अपीलांट एवं श्री सुनील परिहार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली अनवानी धर्मपाल बनाम सरोज प्रकरण संख्या 16/2011 मे पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2011 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official